भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4289

गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा</u>

4289. श्री कृपानाथ मल्लाहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को एक संसाधन के रूप में विकसित और उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो असम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रूपरेखा बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भविष्य में इस विषय पर विचार करने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च): सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में 100 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय असम के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सौर ऊर्जा के विकास तथा संस्थापन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4289 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

असम के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सौर ऊर्जा के विकास और संस्थापन के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा

योजना	अनुप्रयोग/आकार	उपलब्ध सीएफए
क) सौर पार्क योजना	---	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क। 20 लाख रु. प्रति मेगावाट या ग्रिड संबद्धता लागत सहित परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो।
ख) सीपीएसयू योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)	योजना का कुल आकार 1200 मेगावाट	0.7 करोड़ रु. प्रति मेगावाट तक का व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण (वीजीएफ)। वीजीएफ को निम्नलिखित दो किश्तों में जारी किया जाता हैः- i. ईपीसी ठेकेदार (इन-हाउस ईपीसी प्रभाग सहित) को ठेका दिए जाने पर 50 प्रतिशत। ii. शेष 50 प्रतिशत परियोजना की पूरी क्षमता चालू किए जाने पर।
ग) ग्रिड संबद्ध रूफटॉप कार्यक्रम का चरण-II	आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट	केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार होगीः- (i) आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक) – बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत (ii) आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता) – 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत के साथ 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली के लिए 20 प्रतिशत (iii) ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) इत्यादि में 500 किलोवाट पीक (10 किलोवाट पीक प्रति मकान की दर से) सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, जिसमें ऊपरी सीमा में उस जीएचएस/आरडब्ल्यूए के व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले ही संस्थापित व्यक्तिगत रूफटॉप संयंत्र शामिल होंगे।
घ) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	(क) घटक-क: बंजर/कृषि भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक के अक्षय विद्युत संयंत्र (सौर सहित) की स्थापना। (ख) घटक-खः सिंचाई के लिए प्रत्येक	घटक-क के लिए, डिस्कॉम, खरीदे गए प्रत्येक यूनिट पर 0.40 रू. प्रति यूनिट की दर से पीबीआई प्राप्त करने या संस्थापित क्षमता का 6.6 लाख रु. प्रति मेगावाट प्राप्त करने के लिए, जो भी कम हो, सीओडी से 5 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। घटक-ख और ग के लिए, स्टैंडअलोन पंप या वर्तमान पंप के सौरीकरण की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30%, जो

	7.5 एचपी क्षमता तक के 17.5 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना। (ग) घटक-गः 7.5 एचपी क्षमता तक के प्रत्येक 10 लाख वर्तमान कृषि पंपों का सौरीकरण	भी कम हो, सीएफए के रूप में प्रदान किया जाएगा। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों; हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों; जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों; और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेशों के लिए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 50% सीएफए के रूप में दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी 30% या इससे अधिक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ङ) ऑफग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग योजना: चरण-III	(क) ऑफ-ग्रिड चरण-III कार्यक्रम के तहत 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटें/ 100 मेगावाट सौर विद्युत पैक (ख) ऑफ-ग्रिड चरण-III कार्यक्रम के तहत 25 लाख सौर स्टडी लैंप (ग) 70 लाख सौर स्टडी लैंप योजना के तहत सौर स्टडी लैंप (घ) अजय योजना के तहत 3.04 लाख सौर स्ट्रीट लाइट	सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का क्रमशः 30% और 90% तक सीएफए। लैंप की लागत के 85% तक सीएफए। प्रत्येक लैंप पर 100 रू. का विद्यार्थी अंशदान और शेष राशि सीएफए के तौर पर। परियोजना लागत के 75% तक सीएफए। शेष राशि एमपीलेड्स द्वारा।
च) औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक भोजन पकाने, प्रोसेस हीट एंड स्पेस हीटिंग तथा कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सीएसटी तकनीकें	90,000 वर्ग मीटर का कलेक्टर क्षेत्र हासिल करनें का लक्ष्य	सभी लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत के 20% तक और विशेष श्रेणी के राज्यों में गैर-लाभकारी निकायों और संस्थानों के लिए 40% तक सीएफए

*****